

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

FOR IMMEDIATE RELEASE

Press Note No: PRD/Press Note/9/2018-19

12 July 2018

BIS raids Electrical Insulation Tapes Manufacturing Unit

Bureau of Indian Standards (BIS), conducted an enforcement raid at the premises of M/s. REFLEX INDUSTRIES, in Delhi recently. The above mentioned unit without having a valid BIS licence was manufacturing Self Adhesive Electrical Insulation PVC tapes under brand names “BSF” with CM/L- 8100022788 and “Hans” with CM/L- 8545596 as per IS 7809: (Part 3/Sec 1): 1986 violating Section 17 (3) of BIS Act 2016 which is a punishable offence.

A huge quantity of Self Adhesive electrical insulation PVC tapes was seized at the unit.

भारतीय मानक ब्यूरो

तत्काल जारी करने हेतु

प्रेस नोट सं: पीआरडी/प्रेस नोट/9/2018-19

12 जुलाई 2018

बीआईएस का इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन पीवीसी टेप्स की निर्माता इकाई पर छापा

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने हाल ही में मैसर्स रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के दिल्ली में स्थित परिसर पर प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई भामाब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना आई एस 7809: (भाग 3/ खण्ड 1): 1986 के अनुसार “ बीएसएफ” ब्रांड से सीएम/एल- 8100022788 के साथ तथा “हंस” ब्रांड से सीएम/एल- 8545596 के साथ सेल्फ एडहेसिव इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन पीवीसी टेप्स का निर्माण कर रही थी, जो भामाब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 17 (3) का उल्लंघन है जोकि एक दंडनीय अपराध है।

उपरोक्त छापे के दौरान, टीम ने इकाई से भारी मात्रा में सेल्फ एडहेसिव इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन पीवीसी टेप्स ज़ब्त किये।

